तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
30.1.2018	यह रैफरेंस प्रार्थना पत्र प्रार्थी ग्रामवासीयान बहरावली तहसील रूपवास की ओर से वकील श्री उदयवीर कसाना द्वारा पेश किया गया है। दौराने रैफरेंस प्रस्तुतीकरण वकील अपीलान्ट को बहस एडमीशन पर सुना गया। प्रस्तुत रैफरेंस का अवलोकन किया गया। रैफरेंस प्रार्थना पत्र में जिस त्रुटीयुक्त आदेश को निरस्त कराने के उद्देश्य से रैफरेंस प्रस्तुत किया गया है उसका कोई हवाला नहीं दिया गया है न ही उस त्रुटीयुक्त आदेश की प्रमाणित छाया प्रति ही पेश की गई है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रैफरेंस किसी निर्णय, आदेश, कार्यवाही के विरूद्ध ही प्रस्तुत किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में किसी भी निर्णय, आदेश, कार्यवाही को निरस्त कराने का हवाला नहीं दिया गया है। न ही यह अंकित किया गया है कि आया अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी निर्णय आदेश, कार्यवाही का परीक्षण किया गया हो और बाद जांच यह पाया गया हो कि कब कौनसे, आदेश, निर्णय या कार्यवाही में अनियमितता हुई जिसके कि संबध में निरस्त कराने हेतु रैफरेंस पेश करना आवश्यक हुआ। इस प्रकरण में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण रैफरेंस/एलआर/2896/2015 सरकार बनाम प्रभु निर्णय दिनांक 4.8.2017 में प्रतिपादित किया गया है। अतः हस्तगत प्रकरण अनियमिता युक्त आदेश, निर्णय, कार्यवाही के दिनांक एवं रिकार्ड के अभाव में अपूर्ण होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। **अतिरिक्त जिला कलक्टर** **भरतपुर**	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official